न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्याः– 2024/21

सिविल प्रकरण संख्याः– 7/2024 तारीख रजू 23.02.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. जगदीश गुर्जर पुत्र स्व. श्री प्रभूलाल गुर्जर (विक्रेता) मैसर्स सुरेश किराना स्टोर, मैन बाजार, मलारना स्टेशन, चक बिलोली, तहसील मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर।
2. सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामजी लाल गुप्ता (प्रोपराईटर) मैसर्स सुरेश किराना स्टोर, मैन बाजार, मलारना स्टेशन, चक बिलोली, तहसील मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर।
3. अशोक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल सिंहल (प्रोपराईटर) मैसर्स मोहन लाल अशोक कुमार पुरानी अनाज मण्डी, गंगापुरसिटी 322001 निवासी ट्रक यूनियन के पास वार्ड नं. 1, गंगापुरसिटी
4. बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा (नोमिनी) मैसर्स मणिशंकर ऑयल्स प्रा0लि0 एफ–82, रिको औद्योगिक क्षेत्र, जेतपुरा, जयपुर

4\. मैसर्स मणिशंकर ऑयल्स प्रा0लि0 एफ–82, रिको औद्योगिक क्षेत्र, जेतपुरा, जयपुर

........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 52 FSS Act 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 30.03.2026**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दिनांक 27.02.2023 को दोपहर 02.00 पी.एम. पर उक्त फर्म– सुरेश किराना स्टोर, मैन बाजार, मलारना स्टेशन, तह. मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर संस्थान पर पहुंचा। संस्थान पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने अपने आपको विक्रेता होना बताया एवं अपना नाम जगदीश गुर्जर पुत्र स्व. श्री प्रभूलाल गुर्जर होना बताया एवं जगदीश गुर्जर को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु मस्टर्ड ऑयल (कबीरा) काउन्टर पर रखा हुआ था। उक्त मस्टर्ड ऑयल (कबीरा) में गुणवत्ता/मिलावट होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 4 बोतल मस्टर्ड ऑयल (कबीरा) 1–1 लीटर की मूल बोतल खरीदकर उनकी कीमत 560/– रूपये विक्रेता जगदीश गुर्जर को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान गोविन्द सहाय बैरवा एवं बाबूलाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मस्टर्ड ऑयल (कबीरा) की 4 मूल बोतल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2642** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता स्वयं ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक H-2642 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता जगदीश गुर्जर ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति जगदीश गुर्जर को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2023/567–570 दिनांक 06.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/513/एक्ट/2023/584 दिनांक 08.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** मस्टर्ड ऑयल (कबीरा) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड मस्टर्ड ऑयल (कबीरा) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये वकील उपस्थित हुये। वकील अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्डेड मस्टर्ड ऑयल (कबीरा) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण पर अधिक[illegible]त किया जावे।

वकील अभियुक्तगण संख्या 1 लगा. 2 द्वारा ज[illegible] में [illegible] गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि आवेदक ने शुद्ध के लि[illegible] की पूर्ति के लिए विधिक प्रावधानों को ताक में रख कर नमूना स[illegible]ादित की है। आवेदन चलने योग्य नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन ...
एवं अति. जिला ...
सवाई मा...

है। प्रार्थी अभियुक्त सं0 1, अभियुक्त सं0 2 का मजदूर है जो मात्र सामान उठाकर देने का कार्य करता है। अभियुक्त सं0 2 किसी आवश्यक कार्य से पास में गया हुआ था अभियुक्त सं0 2 की अनुपस्थिति में अभियुक्त सं0 1 नमूना संग्रहण हेतु मस्टर्ड ऑयल की रसीद जारी करने के लिए अधिकृत नहीं था अभियुक्त सं0 1 जो कि एक साक्षर एवं कम पढा–लिखा एवं एफएसएस के प्रावधानों से अनभिज्ञ है। ऐसी सूरत में परिवाद खारिज होने योग्य है। यह कि आवेदक द्वारा पेश किये गये आवेदन में जिस उत्पाद को मिसब्राण्डेड बताया गया है उसका लेबल पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जब पत्रावली में मिसब्राण्डेड होने का प्रमाण ही नहीं है तो ऐसी सूरत में परिवाद खारिज होने योग्य है। अभियुक्त सं0 2 की फर्म सुरेश किराना स्टोर ने नियमानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान से खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है प्रार्थी की फर्म वैध एवं प्रभावी अनुज्ञप्ति धारक है। प्रार्थी अभियुक्त सं0 2 की फर्म ने फर्म मोहन लाल अशोक कुमार गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर से टेक्स इनवाईस नं0 1246 से निर्माता अभियुक्त सं0 4 व 5 का माल मस्टर्ड ऑयल शील्ड अवस्था में 1–1 लीटर के पैक में क्रय किया था तथा जिस अवस्था में प्राप्त किया उसी अवस्था में विक्रय कियाहै ऐसी सूरत में विपक्षीगण/अभियुक्त सं0 1 व 2 पर आरोपित अपराध में आवेदन चलने योग्य नहीं है। अतः अभियुक्त सं0 1 व 2 को प्रकरण में उन्मोचित कर कार्यवाही ड्रॉप किये जाने के आदेश फरमावे।

वकील अभियुक्त सं0 3 लगायत 5 ने जवाब में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सरसों के तेल का नमूना लिया गया है जो जांच के दौरान मिसब्राण्डेड प्रकृति का पाया गया है जो प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर किया गया अपराध नहीं है। प्रार्थीगण उक्त कबीरा तेल का निर्माता है। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट तेल में नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस/513/एक्ट/2023/584 दिनांक 08.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** मस्टर्ड ऑयल (कबीरा) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने के लेबल पर उक्त उत्पाद की न्यूट्रिशनल इन्फोर्मेशन दी हुई है किन्तु सोडियम, ओमेगा–3 फेटी एसिड और ओमेगा–6 फेटी एसिड कोन्टेन्ट की मात्रा नहीं दी हुई है जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) अधिनियम, 2020 के विनियम 5(3) बी और विनियम 5(3) का परंतुक का उल्लंघन है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर रेफरल की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जोकि उनके द्वारा नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण [illegible] का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर [illegible] एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक [illegible] से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन [illegible]
एवं अति. जिला [illegible]
सवाई [illegible]

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्डेड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** मस्टर्ड ऑयल (कबीरा) को विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 5 पर संयुक्त रूप से 10,000 रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अतः अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.**03.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:26 IST
Reason: SelfAttested